न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना–कुचामन
पीठासीन अधिकारी–श्री सीताराम जाट, आई.ए.एस.

रसद अपील संख्या– 01/2023
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2023/1

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
रामकरण पुत्र हनुमानराम जाति जाट निवासी जसवन्तपुरा उचित मूल्य दुकानदार पांचवा तहसील कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन		जिला रसद अधिकारी, डीडवाना–कुचामन

अपील अधीन 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तु (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 विरूद्ध निर्णय दिनांक 04.08.2023 द्वारा जिला रसद अधिकारी, नागौर विभागीय प्रकरण सं. 75/2023 बअनवान सरकार बनाम रामकरण पारित करते हुए प्रतिभूति राशि 1000/– रू जब्त बहक सरकार की जाकर अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया।

निर्णय

दिनांक: 27.12.2023

1. अपीलान्ट ने यह अपील अन्तर्गत राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के नियम 22 के तहत जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा पारित प्रकरण संख्या 75/2023 राजस्थान सरकार बनाम रामकरण में पारित निर्णय दिनांक 04.08.2023 के विरूद्ध पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया।
2. अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पर उभय पक्ष की बहस सुनी। वकील अपीलान्ट ने अपील में किये गये कथनों को हूबहू दोहराते हुऐ बहस में कथन किया कि अपीलांट को नियमानुसार उचित मूल्य दुकानदार, पांचवा का प्राधिकार पत्र रसद विभाग द्वारा जारी किया हुवा था व अपीलांट नियमानुसार कार्य कर रहा था, अपीलांट के विरूद्ध कभी भी किसी प्रकार की कोई शिकायत किसी भी उपभोक्ता की नहीं रही थी न ही हस्तगत पत्रावली में ऐसी कोई शिकायत है लेकिन इसी दौरान अपीलांट के कुटुम्ब वालो से राजनैतिक अदावत रखने वाली सरपंच भगवती देवी ने जिला रसद अधिकारी, नागौर को एक मिथ्या शिकायत कर दी, जिस पर अपीलांट का प्राधिकार पत्र दिनांक 07.09.2020 को निरस्त करने का निर्णय पारित कर दिया था, जिससे व्यथित होकर पूर्व में अपीलांट ने माननीय न्यायालय हाजा में अपील संख्या 138/2020 अपीलांट रामकरण बनाम रेस्पोडेन्ट जिला रसद अधिकारी नागौर प्रस्तुत की थी व माननीय न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 19.10.2020 को निर्णय पारित करते हुऐ अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर यह आदेश पारित किया कि अपीलांट के विरूद्ध द्वितीय आरोप के संबंध में प्रकरण रिमाण्ड कर पक्षकारान को पुनः सुनवाई साक्ष्य सबूत आदि का अवसर प्रदान कर द्वितीय आरोप के संबंध में विधि सम्मत निर्णय पारित करने का आदेश प्रदान किया गया।
3. जिला रसद अधिकारी नागौर को पत्रावली [illegible] पर पुनः विभागीय प्रकरण 03/2021 दर्ज कर द्वितीय आरोप [illegible] स्टॉक के अनुसार मौक पर 2659 किलोग्राम गेहूँ कम पाया [illegible] नोटिस जारी कर प्रकरण में

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Ram Jat
Date: 2024.02.01 11:34:48 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

Scanned with OKEN Scanner

वास्ते पेश करने जवाब दिनांक 04.02.2021 पेशी नियत की गई, अप्रार्थी डीलर ने पेशी दिनांक 04.02.2021 को जवाब पेश कर दिया था। अपीलांट/अप्रार्थी डीलर के जवाब के संलग्न दस्तावेजो एवं प्रवर्तन निरीक्षक की टिप्पणी से भी जिला रसद अधिकारी ने यह स्पष्ट माना कि अप्रार्थी डीलर की मशीन में तो 2674 किलोग्राम गेहूँ ज्यादा चढ़ गया। मगर केवल यह कहते हुए प्राधिकार पत्र निरस्त करने का आधार दर्ज किया कि अप्रार्थी डीलर ने ज्यादा गेहूं पोश मशीन में चढ़ जाने की सूचना प्रवर्तन निरीक्षक व जिला परिषद अधिकारी को दी इसका कोई/सबूत पेश नहीं किया। प्रवर्तन निरीक्षक की टिप्पणी में भी स्पष्ट हुआ है कि पोश मशीन में ज्यादा गेहूँ डीलर की गलती से ही अपडेट हुआ है। जिला रसद अधिकारी ने पुनः निर्णय करते वक्त उक्त द्वितीय आरोप बाबत स्थिति स्पष्ट हो जाने के बावजूद यह कहते हुए प्राधिकार पत्र निरस्ती का निर्णय कर दिया कि अप्रार्थी डीलर ने अपने जवाब में यह नहीं बताया कि उसके द्वारा 15 किलो गेहूं का क्या किया? तथा अपीलांट के अधिवक्ता के तर्को का गलत अर्थ निकालते हुए व विरोधाभाष प्रकट करते हुए पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर पुनः विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है। अपीलांट की ओर से दिनांक 17.03.2021 को जिला रसद अधिकारी के कार्यालय में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर याचिका एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 12434/2020 में पारित निर्णय दिनांक 24.02.2021 की छाया प्रति पेश की मगर तमाम वास्तविक स्थिति को नजर अंदाज करते हुए अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी ने अपीलांट के विरूद्ध आरोप साबित न होते हुए भी प्रतिभूति राशि ₹1000 जब्त बहक सरकार करने व प्राधिकार पत्र तुरन्त प्रभाव से निरस्त करने का आदेश दिनांक 8.4.2021 को पारित कर दिया, जिसके विरुद्ध अपील पेश करने पर अपील स्वीकार की गयी व माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में भी कार्रवाई की गयी थी, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के निर्णय दिनांक 30.05.2023 की पालना में अपीलांट रामकरण उचित मूल्य दुकानदार पांचवा के प्राधिकार पत्र को जिला रसद अधिकारी कार्यालय में आदेश क्रमांक रसद/अभि/2023/835 दिनांक 12.06.2023 द्वारा बहाल कर दिया लेकिन पुनः उचित मूल्य दुकानदार के विरुद्ध विभागीय प्रकरण संख्या 75/2023 दर्ज कर दिया व आरोप लगाया की डीलर के विरूद्ध ग्राम पंचायत पांचवा के उपभोक्ताओ ने जिला रसद अधिकारी को लिखित में शिकायत पेश की जिसके अनुसार जांच करने पर यह पाया जाना लिखा कि माह अप्रैल में प्रधानमंत्री अन्न योजना का पांच किलो प्रति यूनिट के हिसाब से गेहूँ का वितरण नहीं किया गया और बताया कि स्टॉक समाप्त हो गया है जबकि स्टॉक उपलब्ध है तथा पोश मशीन में उपलब्ध स्टॉक के अनुसार मौके पर 2659 किलोग्राम गेहूँ कम पाये जाने का आरोप लगाया। अपीलांट ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि शिकायत राजनेतिक द्वेषता के कारण झुठी की है डीलर नियमित राशन वितरण करता रहा है केवल अप्रेल माह का प्रधानमंत्री अन्न योजना का राशन नहीं मिलना बताया है जो अपने आप में हास्यास्पद एवं राजनेतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर मिथ्या शिकायत की गई है क्योंकि उस समय का राशन शिकायतकर्ता द्वारा समय पर नहीं लेने आने तथा आने के बाद सम्पर्क करने पर बताया कि अब हम राशन नहीं लेंगे क्योंकि हमे राजनेताओं ने मना कर रखा है इस प्रकार सारे खुलासा तथ्य दर्ज कर जवाब पेश किया गया। तत्पश्चात दिनांक 17.07.2023 को भी जवाब किया व जवाब के समर्थन में स्वतंत्र गवाह के शपथ पत्र पेश किये है जिनमें जगदीशप्रसाद उपसरपंच पांचवा, बबलू बावरी, भवानी शंकर, मनोज कुमार शर्मा, आनन्दीलाल प्रजापत, दीपाराम, मैना देवी, पूर्णसिंह, पूर्व प्रधान कुचामन, सागरमल पुत्र कालूराम रेगर, बुधाराम पुत्र चन्द्राराम, गजानन्द पुत्र लादुराम, ओमप्रकाश पुत्र मदनलाल रेगर निवासी पांचवा के लिखित कथन पेश किये जिन स्वतंत्र उपभोक्ता ने लिखित में अवगत करवाया कि राशन डीलर रामकरण नियमित रूप से दुकान संचालित करता है इसके कार्य से हम संतुष्ट [illegible] यह मानते हुए डीलर द्वारा 1337 किलोग्रामगेहूँ को तीन बार रिसीव क[illegible]िक आपूर्ति से 2674 किलोग्राम गेहूँ पोश मशीन में चढ़ गया [illegible] किन्तु डीलर ने इस संबंध में कार्यालय को अ[illegible] गलत ट्रांजेक्शन होना मान

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Ram Jat
Date: 2024.02.01 11:34:48 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना-कुचामन

जिला कलेक्टर
डीडवाना–कुचामन

Scanned with OKEN Scanner

कर प्रतिभूति राशि ₹1000 जब्त बहक सरकार करने व प्राधिकार पत्र तुरन्त प्रभाव से निरस्त करने का आदेश दिनांक 04.08.2023 को पारित कर दिया, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश की है।

3(1)– अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी, नागौर का आदेश जैर अपील, गैर कानूनी, राजनेतिक दबाव व प्रभाव के चलते पारित किया होने से विधिक आदेश/निर्णय की श्रेणी में नहीं आता है अपास्त/निरस्त/हस्तक्षेप योग्य है।

3(2)– पूर्व में अपीलांट के विरूद्ध उक्त मुकदमा कथित सरपंच की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था। तथाकथित शिकायत के आधार पर अपीलांट के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया है उस शिकायत के साथ ऐसी कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किये जिससे अपीलांट के विरूद्ध कोई मामला बनता हो केवल मात्र पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अपीलांट के विरूद्ध शिकायत की गयी थी। जिस शिकायत के आधार पर जिला रसद अधिकारी ने प्रवर्तन निरीक्षक से जांच करवाई लेकिन उन्होने निष्पक्ष जांच नहीं की है जबकि वास्तविक स्थिति अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी के समक्ष स्पष्ट हो गयी कि कथित गेहूँ पोश मशीन में अधिक चढ़ जाने से ऐसी भ्रांति पैदा हुई है जिसके संबंध में बार बार निवेदन करके साक्ष्य सबूत भी पेश किया गया, जिसे अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी ने स्वीकार भी किया है मगर अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी ने अपने आदेश में अपूर्ण व भ्रमित तथ्य व बिना विरोधाभाष हुऐ विरोधाभाष होने का गलत अंकन करते हुए व अपीलांट के विरूद्ध आरोप संख्या 2 प्रमाणित नहीं होते हुए भी प्रमाणित मान कर आदेश/निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि की थी, जिस पर पूर्व में विभागीय प्रकरण संख्या 2/2021 में पारित निर्णय दिनांक 08.04.2021 के विरूद्ध अपीलांट ने माननीय न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर में अपील पेश की जो अपील संख्या 46/2021 रामकरण बनाम जिला रसद अधिकारी दर्ज होकर न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर बईजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. ने बाद सुनवाई अपीलांट की अपील दिनांक 06.09.2021 को स्वीकार कर अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी, नागौर द्वारा पारित निर्णय को अपास्त किया गया था व अपीलांट के विरूद्ध शिकायते झुठी पायी गयी। इसके बावजूद बार बार मिथ्या शिकायत दर्ज कर अपीलांट को तंग परेशान करने लिए प्राधिकार पत्र निरस्त करने के आदेश दिये जा रहे है जो स्पष्ट रूप से राजनेतिक रंजिश के चलते दबाव व प्रभाव से मिथ्या आदेश/निणर्य पारित करवाये जा रहे है ऐसी स्थिति में निर्णय जैर अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

3(3) अपीलांट ने निवेदन किया कि सरपंच ने पांचवा तहसील कुचामन सिटी से नागौर आकर जिला रसद अधिकारी के समक्ष शिकायत दिनांक 05.06.2020 को दोपहर बाद शिकायत पेश की है जबकि मौका रिपोर्ट जो पत्रावली में पेश हुई है वह दिनांक 05..06.2020 समय 02:50 पी.एम. की है और उस मौका रिपोर्ट में अपीलांट के विरूद्ध शिकायत दिनांक 14.05.2020 को जिला रसद अधिकारी के यहां पेश होने व जिला रसद अधिकारी के मौखिक आदेश दिनांक 04.06.2020 को दिये जाने का हवाला है जबकि पूरी पत्रावली में दिनांक 14.05.2020 की शिकायत का कोई भी सबूत, प्रति कुछ भी नहीं है इतना ही नहीं जिला रसद अधिकारी का मौखिक आदेश दिनांक 04.06.2020 को दिया जाना बताया गया है जबकि विभागीय प्रकरण में ऐसा कोई मौखिक आदेश नहीं दिया जाता है सारा कार्य लिखित में होता है और उसका हवाला दिया जाकर ही कोई मौका जांच रिपोर्ट तैयार की जाती है जबकि प्रकरण में न तो ऐसी शिकायत का सबूत है न कोई लिखित आदेश जांच बाबत है फिर भी मौका रिपोर्ट तैयार की है व उसमें सरासर गलत आक्षेप अपीलांट के विरूद्ध लगाये गये है एवं जिला रसद अधिकारी ने प्रवर्तन निरीक्षक को जांच करने हेतु दिनांक 14.05.2020 की प्रति संलग्न करना बताकर तहरीर जारी की [illegible] के संलग्न नहीं है तथा उक्त आदेश में यह भी अंकन नहीं है कि उचित [illegible] द्वारा किसी प्रकार से अनियमितता की है व उसके विरूद्ध क[illegible] तथा किस ग्रामवासी ने व किसी जनप्रतिनिधि ने शि[illegible] भी कोई हवाला नहीं है

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Ram Jat
Date: 2024.02.01 11:34:48 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

कलक्टर जिला डीडवाना–कुचामन

Scanned with OKEN Scanner

स्पष्ट है कि सारी कार्यवाही पूर्व नियोजित षड़यंत्र के तहत होकर केवल मात्र स्थानीय राजनेताओ व सरपंच के अनुचित दबाव व प्रभाव में आकर केवल औपचारिकता पूरी कर प्राधिकार पत्र को बिना किसी अनियमितता के अवैधानिक रूप से निरस्त किया गया है जो इस बात का प्रमाण है कि शिकायत सरपंच द्वारा दिनांक 05.06.2020 को दी जाती है व उसी दिन नागौर से 170 किलोमीटर दूर जाकर प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा मौका फर्द तैयार कर ली जाती है जो कतई संभव नहीं है। कथित जांच रिपोर्ट मे मुख्य रूप से यह आक्षेप लगाया गया कि डीलर ने उपभौक्ताओं को अप्रेल माह में प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत 5 किलो प्रति यूनिट के हिसाब से गेहूँ वितरण नहीं किया है जबकि इस संबंध में अपीलांट ने लिखित में जवाब के रूप में यह स्पष्ट कर दिया कि रसद विभाग द्वारा डीलर को अप्रेल माह का प्रधानमंत्री अन्न योजना का गेहूँ कम उपलब्ध हुआ था जिसके संबंध में विभाग को डीलर ने सूचित कर दिया व रसद विभाग ने यह बताया कि अप्रेल माह के गेहूँ से जो उपभोक्ता वंचित रहे है व उनको 15 मई 2020 के बाद मिलेगा इसके साथ ही मई 2020 का जो गेहूँ दोनो योजनाओं का था एक साथ वितरण कर दिया व वंचित रहे उपभौक्ताओं को डीलर ने सूचित भी कर दिया लेकिन कथित लोग जो कि सरपंच की पार्टी के है उन्होने जानबूझ कर गेहूँ प्राप्त नहीं किया ताकि इस संबंध में शिकायत की जा सके व जो लोग लेने आये उनको गेहूँ वितरण हुआ है इस प्रकार डीलर ने जानबूझ कर किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं रखा है तथा डीलर पर जाति विशेष का रौब दिखाने का सरासर गलत अंकन कर शिकायत पेश की गयी है जबकि जाति विशेष का नाजायज लाभ शिकायतकर्ता उठा रहे है इस प्रकार कथित 12 व्यक्ति जो सरपंच की पार्टी के है उन्होने सरपंच के साथ मिलकर अपीलांट के विरूद्ध गलत बयानबाजी की है।

3(4) जहां तक स्टॉक कम ज्यादा का प्रश्न है उस संबंध में अपीलांट का निवेदन था कि अपीलांट को उस समय 13.37 क्विंटल की गेहूँ कार्यालय दी नागौर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लिमिटेड, नागौर की बिल संख्या 1680 दिनांक 10.08.2018 के जरिये प्राप्त हुआ था लेकिन पोश मशीन में 13.37 क्विंटल गेहूँ तीन बार चढ़ जाने से कुल 40.11 क्विंटल स्टॉक बता दिया जबकि डीलर को जो गेहूँ रिसीव हुआ है वो एस.आर. नं. 64 में अंकित 13.37 क्विंटल ही मिला है लेकिन तीन बार चढ़ने से 40.11 क्विंटल दर्शाया है जबकि 26.74 क्विंटल जो गलत रूप से दर्ज हो गया था उसे विभाग स्वयं द्वारा कम किया जाना व गलती को दुरूस्त किया जाना प्रमाणित किया है और उक्त चूक को आधार बनाकर अपीलांट के विरूद्ध मिथ्या आक्षेप लगाकर स्टॉक संबंधी अनियमितता का आधार लिया है जो कि सरासर गलत है विभाग की सामाजिक अन्वेक्षण निर्धारित अभिलेख रिपोर्ट में इस आशय का नोट अंकित किया गया है कि माह अक्टूबर 2018 में 26.74 क्विंटल अधिक अपलोड हुआ है जो वर्तमान में 26.67 ज्यादा अपलोड है। इस प्रकार स्पष्ट है कि विभागीय दस्तावेजो से किसी प्रकार उक्त गेहूँ कम जाये जाने का कोई मामला अपीलांट के विरूद्ध नजर नहीं बनता है लेकिन उक्त दस्तावेजो व स्टॉक संबंधी रिसीव आदि को नजर अन्दाज करते हुए अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी ने अवैध रूप से निर्णय पारित किया है जिसके विरूद्ध माननीय न्यायालय ने अपीलांट की अपील संख्या 138/2020 को आंशिक स्वीकार कर विधि सम्मत निर्णय करने का आदेश दिया इसके बावजूद जिला रसद अधिकारी ने विधि सम्मत निर्णय पारित नहीं करते हुए पूर्व के तथ्यो का हवाला देकर पुनः उसी अनुसार अनुचित, त्रुटिपूर्वक निर्णय पारित किया है जो अपास्त/निरस्त/संशोधित किये जाने योग्य है।

3(5) जिला रसद अधिकारी के पूर्व आदेश में यह अंकित किया गया है कि 2659 किलोग्राम गेहूँ कम पाया गया है इस बाबत अपीलांट का निवेदन था कि डीलर को उपर बताये अनुसार बिल्टी संख्या 1680 के ज[illegible] था लेकिन पोश मशीन में तीन बार चढ़ जाने से 4411 किलोग्राम गेहूँ दर्श[illegible] जिसे विभाग ने बाद में दुरूस्ती कर रिसीव रिपोर्ट एस.आर. न[illegible] होना पाया गया है व वास्तविक रूप से दिया ग[illegible] से 1337 किलोग्राम कम करने

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Ram Jat
Date: 2024.02.01 11:34:48 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

Scanned with OKEN Scanner

पर 2674 किलोग्राम होते है जिसमें से 15 किलो उपभोक्ता को ज्यादा ट्रांजेक्शन हो जाने से शेष 2659 होता है जो केवल मात्र पोश मशीन की गलती से दर्शाया गया है और उसे विभाग ने अन्वेक्षण रिपोर्ट के नोट में स्वीकार किया है कि 2674 किलो अधिक अपलोड हो गया है लेकिन जिला रसद अधिकारी ने इन तमाम महत्वपूर्ण दस्तावेजों की अनदेखी करते हुए निर्णय में सहायक नहीं मानते हुए कथित 2659 किलोग्राम गेहूँ कम पाये जाने को आधार मानकर आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की है व दुबारा मामला रिमाण्ड होने पर भी विधि सम्मत आदेश पारित नहीं करके पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर त्रुटिपूर्वक द्वितीय निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है क्योकि एक ही तरह की शिकायत व आरोप के संबंध में जब पूर्व में निर्णय पारित हो जाता है तो उसके संबंध में पुनः प्रकरण दर्ज कर पुनः प्राधिकार पत्र निरस्त करने का कोई अधिकार जिला रसद अधिकारी को नहीं है पूर्व में पारित माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय व जिला कलक्टर महोदय के निर्णय को विफल करने के दुराशय से वर्तमान निर्णय जेर अपील विधि विरूद्ध पारित किया होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

3(6)डीलर द्वारा किसी प्रकार की कोई गंभीर या साधारण अनियमितता नहीं की गयी है न कोई सबूत है केवल मात्र भ्रमित दस्तावेजो व झुठी राजनेतिक शिकायत के आधार पर सारी कार्यवाही आनन फानन में की गयी है। प्रार्थी को दिनांक 13.06.2020 को कारण बताओं नोटिस दिया जिसका खुलासा जवाब अपीलांट ने पेश कर दिया जिसकी प्रति शामिल पत्रावली है उसको भी जिला रसद अधिकारी ने ध्यानपूर्वक पढ़े बिना व उसको नजर अन्दाज करते हुए एकतरफा रूप में आदेश पारित किया है एवं सरपंच को राशन के गेहूँ लेने का अधिकार कानूनन नहीं होने के बावजूद गैर कानूनी रूप से राशन सामग्री देने का दबाव बनाने पर डीलर ने समझाईश की कि सरपंच ऐसी योजना के तहत राशन सामग्री वितरण नहीं की जा सकती है जिससे सरपंच सख्त नाराज हो गयी व इसी कारण से उसने कुछ 10–12 अपने मिलने वाले व पार्टी के लोगो का समूह बनाकर मिथ्या शिकायत पर ऐसे व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवा कर अपीलांट के विरूद्ध मिथ्या शिकायत कर दी व फिर राजनेतिक दबाव बनाकर डीलर की किसी प्रकार की अनियमितता नहीं होते हुए भी प्राधिकार पत्र बिना किसी आधार के पुनः निरस्त करवाने का आदेश जैर अपील पारित करवाया है जो अपास्त किये जाने योग्य है।

3(7) प्रकरण में जांच अधिकारी ने कथित शिकायतकर्ता सरपंच या उसके सहयोगी जिन्होने शिकायत करना बताया है उनके कोई बयान भी नहीं लिये व न ही ग्राम पंचायत के स्वतंत्र लोगो के उपभोक्ताओं के या गांव के अन्य वार्ड पंच, ग्राम सेवक, पटवारी व मौजीज लोगो से या अन्य राशनकार्डधारियो से जांच नहीं की न ही पूछताछ की, न बयान लिये केवल मात्र मौखिक आदेश का हवाला देकर सारी कार्यवाही एकतरफा में बाले बाले की गयी है तथा मिथ्या रूप से संयुक्त बयाननामा लिख कर कुछ लोगों के हस्ताक्षर करवाये गये है जिसमें भी राशन डीलर के यहां 2659 किलोग्राम गेहूँ कम पाये जाने का कोई आक्षेप व उल्लेख नहीं है केवल यह लिखा गया है कि 5 किलो गेहूँ अप्रेल माह का वितरण नहीं किया गया है जिस बाबत उपर उल्लेख किया गया है कि अप्रेल माह में स्टॉक खत्म हो गया था जिस कारण वितरण नहीं किया गया था इसके बावजूद कथित आदेश पारित करने का कोई भी साक्ष्य सबूत पत्रावली में मौजूद नही है। अपीलांट सन् 2008 से आज तक नियमित रूप से पूर्ण ईमानदारी के साथ राशन सामग्री का वितरण करता रहा है किसी की कोई शिकायत नहीं रही है हाल ही में उक्त राजनेतिक पार्टीबाजी के कारण मिथ्या शिकायत की गयी है जो स्थिति स्पष्ट होने के बावजूद पुनः विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है जो हस्तक्षेप योग्य है।

3(8) अपीलांट द्वारा नियमित रूप से राशन सामग्री वितरण करने व किसी प्रकार की अनियमितता नहीं बरतने व किसी भी उपभोक्ता के साथ गलत व्यवहार नहीं करने व राशन सामग्री से किसी को भी [illegible] गांव के निष्पक्ष स्वतंत्र गवाहान के शपथ पत्र भी जांच अधिकारी को दिये [illegible] जानबूझ कर पत्रावली में नहीं लिये व अपीलांट को विधिवत सुन[illegible] कर दिये जिससे अपील संख्या 138/2020 के सा[illegible] किये जो पत्रावली में होने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Ram Jat
Date: 2024.02.01 11:34:48 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

Scanned with OKEN Scanner

बावजूद उनको नजर अन्दाज करते हुए पुनः त्रुटिपूर्वक निर्णय पारित किया है व माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व में अपीलांट की अपील स्वीकार करने के बावजूद पुनः प्राधिकार पत्र को निरस्त करने का निर्णय पारित कर अपीलांट को परेशान किया जा रहा है।

3(9) प्रकरण हाजा में प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा जो जांच रिपोर्ट दिनांक 05.06.2020 को तैयार की गयी उसमें भी कथित 2659 किलोग्राम गेहूँ कम पाये जाने का कोई उल्लेख नहीं है न हीं कम पाया जाना माना गया है इसके विपरीत जांच रिपोर्ट में स्टॉक रजिस्टर संधारण करना पाया गया है। यहां यह तथ्य दर्ज करना आवश्यक होगा कि इस प्रकरण में मात्र 15 किलो गेहूँ कम ज्यादा का विवाद उत्पन्न हुआ है जो रसद विभाग की गलती से हुआ है इसके अलावा बड़ी मात्रा में गेहूँ वितरण करने के दौरान फटे कट्टो में से थोड़ा थोड़ा गेहूँ बिखरने के कारण भी इतने बड़े स्टॉक में 15 किलो गेहूँ की छीजत होना भी स्वभाविक है जिसको भी जिला रसद अधिकारी द्वारा नजर अन्दाज किया गया है।

3(10)विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि जिस अधिकारी द्वारा कथित कोई जांच प्रतिवेदन बना कर पेश किया जाता है उसके संबंध में डीलर की पूर्ण सुनवाई की जाना व डीलर को अपनी ओर से साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिया जाना चाहिए व कोरोना वायरस महामारी के दौर में पूर्व में कठोरतम निर्णय किया गया था जो विधि सम्मत नहीं होने से खारिज किया गया था। इसके बावजूद लगातार गलत निर्णय पारित किये जा रहे है जो पारदर्शितापूर्ण नहीं होने व सम्पूर्ण कार्यवाही पुर्वाग्रह से ग्रसित होकर की होने से निर्णय जैर अपील विधि सम्मत निर्णय नहीं है। यहां यह तथ्य दर्ज करना आवश्यक होगा कि जो नियमानुसार उचित मूल्य दुकानदार, पांचवा का प्राधिकार पत्र रसद विभाग द्वारा जारी किया हुवा था व अपीलांट नियमानुसार कार्य कर रहा था, अपीलांट/प्रार्थी के विरूद्ध कभी भी किसी प्रकार की कोई शिकायत किसी भी उपभोक्ता की नहीं रही थी लेकिन कालान्तर में प्रार्थी के कुटुम्ब वालो से राजनेतिक अदावत रखने वाली सरपंच भगवतीदेवी ने दिनांक 05.06.2020 को जिला रसद अधिकारी नागौर को एक मिथ्या शिकायत इस आशय की पेश की कि उचित मूल्य दुकानदार रामकरण जाट मनमानी करता है ऐसी शिकायत लेटरहैड पर लिख कर उस पर अपनी पार्टी के मिलने वाले कुछ लोगो के हस्ताक्षर करवा कर उक्त मिथ्या शिकायत पेश कर दी जबकि उक्त शिकायत में उचित मूल्य दुकानदार ने किस प्रकार प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लंघन किया, किसके साथ मनमर्जी करके रौब दिखा कर सामग्री वितरण नहीं की ऐसा कोई खुलासा अंकन रिपोर्ट में नहीं किया न ऐसे किसी राशनकार्डधारी का शपथ पत्र पेश किया न हीं ऐसी शिकायत करने से पूर्व ग्राम पंचायत में कोई प्रस्ताव लिया न ऐसे किसी प्रस्ताव का हवाला दिया केवल मात्र सरसरी तौर पर चार लाईन की मिथ्या शिकायत कर दी व उस शिकायत पर स्वतंत्र व निष्पक्ष जांच करवाये बिना ही प्रवर्तन निरीक्षक रामअवतार पूनियां की कथित जांच रिपोर्ट को आधार मानकर प्रार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त करने का आदेश स्थानीय विधायक वगैरा से दबाव बना कर करवा दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रार्थी ने मजबूर होकर माननीय न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर में अपील पेश कर सारे हालात से अवगत करवाया तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में भी कार्यवाही की थी। माननीय न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर ने प्रार्थी की अपील स्वीकार की थी तथा प्राधिकार पत्र बहाल करने का आदेश पारित किया था। उक्त सरंपच वगैरा वर्तमान राजस्थान सरकार में दबदबा रखने वाले स्थानीय विधायक श्री महेन्द्र चौधरी के खास होने से उनके जरिये जिला रसद अधिकारी नागौर पर दबाव व प्रभाव बनाया जाकर फिर प्रार्थी को नाजायज तंग परेशान करना शुरू कर दिया तथा अनुचित लाभ प्राप्त करने, दबाव बनाने के दुराशय से प्रार्थी के विरूद्ध जिला रसद अधिकारी, नागौर के कार्यालय से कार्यवाही करवाने लग गये है व इसी क्रम में जिला रसद अधि[illegible] निरस्त करने के दुराशय से नोटिस जारी कर दिया। जिस पर प्रार्थी ने [illegible] 2023 को जिला रसद अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर[illegible] कर दिया है जवाब के समर्थन में स्वतंत्र गवाहान [illegible] में तलब किया जाकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Ram Jat
Date: 2024.02.01 11:34:48 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

Scanned with OKEN Scanner

साक्ष्य लेने के लिए आगामी जो भी तारीख निश्चित की जावेगी, प्रार्थी गवाहान को साक्ष्य हेतु पेश कर देगा व असल शपथ पत्र श्री जगदीशप्रसाद उप सरपंच ग्राम पंचायत पांचवा, बबलु बावरी वार्ड पंच वार्ड नं. 7, ग्राम पंचायत पांचवा, भवानीशंकर, आनन्दीलाल प्रजापत, दीपाराम, मैनादेवी, पूरणसिंह, पूर्व प्रधान पंचायत समिति कुचामन सिटी, सागर, बुधाराम, गजानन्द, ओमप्रकाश रेगर के बयान लिखित में शपथ पत्र के रूप में पेश किये जिनमें सभी ने अवगत करवाया कि प्राथी नियमित रूप से सही राशन सामग्री विक्रय कर रहा है किसी प्रकार की अनियमितता नहीं कर रहा है ग्रामीणो को कोई शिकायत नहीं है, भेदभाव नहीं करता है, इसके कार्य पर कोई संदेह नहीं है इनके नियमित कार्य पर गर्व है। इस प्रकार मौजीज लोगो, जन प्रतिनिधियों आदि के लिखित बयान पेश कर देने के बावजूद जिला रसद अधिकारी कथित मिथ्या शिकायत करने वालो के अनुचित दबाव व प्रभाव में है तथा प्रार्थी को खुले आम ऐलानिया धमकी दे दी है कि शिकायतकर्ता के पैर पकड़ने पड़ेगे व श्री महेन्द्र चौधरी विधायक नावां से फोन करवाना पड़ेगा वरना प्राधिकार पत्र खारिज करके दुसरे व्यक्ति को डीलर नियुक्त किया जावेगा व उपर से दबाव होने का खुला ऐलान कर दिया इस कारण सारी वस्तु स्थिति से श्रीमान् रसद अधिकारी को अवगत करवा दिया गया था, इसके बावजूद पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर निर्णय जैर अपील विधि विरूद्ध पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

3(11) रेस्पोडेन्ट ने आदेश जैर अपील पारित करते समय आवश्यक वस्तु अधिनियम व राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश– 1976 के प्रावधानों की सही प्रकार से व्याख्या नहीं की है और उक्त आज्ञापक प्रावधानों की अवहेलना व नजरअंदाज करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया है जो हस्तक्षेप योग्य है।

3(12) अपीलांट के द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया था जिससे आवश्यक वस्तु अधिनियम या राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश–1976 के किसी भी शर्त या निबन्धनों का उल्लंघन होता हो तथा अपीलांट को जारी प्राधिकार पत्र में बतायी गयी किसी भी शर्त का उल्लंघन अपीलांट द्वारा नहीं किया गया था ऐसी स्थिति में अपीलांट को जारी प्राधिकार पत्र निरस्त करना किसी भी प्रकार से कानून सम्मत नहीं था और इस आधार पर भी आदेश जैर अपील खारिज किये जाने योग्य है।

3(13) अपीलांट के विरूद्ध किसी भी उपभोक्ता की कोई शिकायत कभी नहीं रही थी, हमेशा नियमानुसार व प्राधिकार पत्र की शर्तो अनुसार सामग्री वितरण की जाती रही है कथित जांच प्रतिवेदन के समय भी कोई अनियमितता नहीं की गयी थी, जो आरोप लगाये गये है वह सत्य नहीं है।

3(14) इस प्रकार अप्रार्थी/डीलर ने किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं की थी व नही पूर्व की कोई शिकायत अप्रार्थी के विरूद्ध रही थी। ग्राम पंचायत के किसी भी उपभोक्ता द्वारा मुझ डीलर के विरूद्ध कभी कोई अंसतोष नहीं जताया न कोई शिकायत की गयी थी। सारी कार्यवाही आनन फानन में बिना विधिवत सुनवाई किये ही की गयी है अप्रार्थी/डीलर बेरोजगार युवक है उसके परिवार के पालन पोषण की जिम्मेवारी उसी पर है तथा अप्रार्थी/डीलर नियमानुसार राशन सामग्री वितरण करता आ रहा है किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की है फिर भी प्रतिवेदन के आक्षेपो का अप्रार्थी/डीलर खुलासा जवाब दिया है व देने को तैयार है। उपरोक्त हालात में यह स्पष्ट था कि अपीलांट निर्दोष है उसके विरूद्ध कोई मामला नहीं बनता है। अपीलांट को जारी उक्त प्राधिकार पत्र के बाद में अपीलांट के खिलाफ ऐसी कोई शिकायत किसी भी उपभोक्ता या अन्य नागरिक की नहीं थी जिससे यह साबित हो कि अपीलांट के द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम या उसके तहत बने नियमो का उल्लंघन किया हो। इसके [illegible] प्राधिकार पत्र की शर्तो व निबन्धनो की पालना करते हुए विधिनुसार कार्य किया जा रहा [illegible] जिससे भी प्राधिकार पत्र को निरस्त किया जाना किसी भी [illegible] उचित मूल्य दूकानदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Ram Jat
Date: 2024.02.01 11:34:48 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

Scanned with OKEN Scanner

के रूप में कार्य पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी से किया जाता रहा था, इस कारण अपीलांट का प्राधिकार पत्र बहाल करना न्यायोचित है।

3(15) अपीलांट बेरोजगार युवक है उसके परिवार के पालन पोषण की जिम्मेवारी अपीलांट पर ही है तथा अपीलांट नियमानुसार राशन सामग्री वितरण करता आ रहा है किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की है और यहां यह तथ्य दर्ज करना आवश्यक होगा कि उचित मूल्य दुकानदार द्वारा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई जाने पर सर्व प्रथम जांच अधिकारी द्वारा इस संबंध में बनी वितरण कमेटी द्वारा जांच कर उस कमेटी के सदस्यों द्वारा पूछताछ कर उसने बयान लेकर उसके पश्चात दुकानदार द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाने पर उक्त कमेटी के बयानों को मध्य नजर रखते हुए उचित मूल्य दुकानदार को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर देकर बाद में दोषी पाये जाने पर उक्त प्राधिकार पत्र निरस्ती की कार्यवाही की जा सकती है मगर प्रकरण हाजा में ऐसी कमेटी द्वारा किसी प्रकार की कोई शिकायत उक्त दुकानदार अपीलांट के विरूद्ध नहीं है न ही जांच अधिकारी ने ऐसी कमेटी के सदस्यों के बयान लिये है न ही किसी तरह से पूछताछ की है केवल मात्र पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर एकतरफा कार्यवाही कर अपीलांट को दोषी बता कर निर्णय पारित करवाया है व अब विज्ञप्ति जारी कर आनन फानन में नया डीलर नियुक्त किये जाने की तैयारी में है जो विधि सम्मत नहीं होने का कथन करते हुए अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी, नागौर द्वारा विभागीय प्रकरण संख्या 75/2023 राजस्थान सरकार बनाम रामकरण में पारित आदेश/निर्णय जैर अपील दिनांक 04.08.2023 को अपास्त/संशोधित/निरस्त किये जाने एवं अपीलांट के पक्ष में जारी प्राधिकार पत्र को बहाल किया जाने का निवेदन किया है।

4. कार्यालय जिला रसद अधिकारी, नागौर के निर्णय दिनांक 04.08.2023 के अनुसार ज्ञात हुआ की माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के निणर्य दिनांक 30.05.2023 की पालना में श्री रामकरण उचित मूल्य दुकानदार पांचवा के प्राधिकार पत्र को कार्यालय जिला रसद अधिकारी, नागौर के आदेश क्रमांक रसद/अभि/2023/835 दिनांक 12.06.2023 द्वारा बहाल कर उचित मूल्य दुकान के संचालन की अनुमति दी गई। उक्त निर्णय की पालना में उचित मूल्य दुकानदार के विरूद्व विभागीय प्रकरण संख्या 75/2023 दर्ज कर कारण बताओ नोटिस दिनांक 12.06.2023 को जारी किया जाकर नोटिस की प्रति देकर डीलर के प्राप्ति के प्राप्ति हस्ताक्षर करवाये गये प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट के विरूद्ध ग्राम पंचायत पांचवा के उपभोक्ताओं ने जिला रसद अधिकारी को लिखित में शिकायत प्रस्तुत की जिस पर जिला रसद अधिकारी ने कार्यालय के आदेश क्रमांक रसद/2020/866 दिनांक 14.05.2020 द्वारा जांच दल का गठन कर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया एवं जिला रसद अधिकारी के मौखिक निर्देश दिनांक 04.06.2020 की पालना में प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 05.06.2020 को ग्राम पंचायत पांचवा में मौके पर जाकर जांच की गई। उक्त जांच रिपोर्ट दिनांक 08.06.2020 को जिला रसद अधिकारी को प्रस्तुत करने पर अपीलान्ट के विरूद्ध निम्न तथ्य पाये गये।

4(1) आरोप संख्या संख्या–1 वक्त जांच मोक पर रामप्यारी पत्नी श्री बनवारीलाल, पन्नालाल पुत्र श्री देवाराम, किशनलाल पुत्र श्री मंगलाराम, हनुमानराम पुत्र श्री चन्द्राराम, रामकुवांर पुत्र श्री मालाराम, सुरेन्द्रकुमार पुत्र श्री गीगाराम, राजेन्द्रप्रसाद पुत्र गीगाराम, राजेश पुत्र श्री भंवरलाल, कमला देवी पत्नि श्री भागचन्द, चेताराम पुत्र श्री भागचन्द, घनश्याम पुत्र श्री भंवरलाल व गोरधन पुत्र श्री भंवरलाल निवासियान पांचवा के उपभोक्ताओं ने बताया कि डीलर द्वारा माह अप्रेल में प्रधानमंत्री अन्न योजना का पांच किलो प्रति यूनिट के हिसाब से गेहूं का वितरण नहीं किया गया और बताया गया कि स्टॉक समाप्त हो गया है जबकि डीलर के पास इस योजना का स्टॉक उपलब्ध था। अपीलांट डीलर द्वारा गेहूं का स्टॉक उपलब्ध होते हुए भी जानबूझ कर उपभोक्ताओं [illegible] संबंध में अपीलांट डीलर ने अपने जवाब में बताया कि उक्त शिकायत [illegible] प्रेरित होकर की गई है। जबकि यह सभी शिकायतकर्ता पूर्व [illegible] जवाब में यह भी बताया कि उक्त शिकायत की [illegible] दिनांक 05.06.2020 जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Ram Jat
Date: 2024.02.01 11:34:48 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
डीडवाना–कुचामन

Scanned with OKEN Scanner

जिला रसद अधिकारी को प्रेषित है वह जाचं अधिकारी को 05.06.2020 को कैसे प्राप्त हो गया। इस सन्दर्भ में सरपंच ने उक्त पत्र वक्त जांच अधिकारी को मौके पर दिया था। जिसका उल्लेख जांच अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट में किया है। अपीलांट डीलर ने अपने जवाब में लिखा है कि सरपंच के लैटर पैड एवं जांच रिपोर्ट में सरपंच के हस्ताक्षरों में भिन्नता है जबकि दोनों हस्ताक्षरों को देखने पर किसी भी प्रकार की भिन्नता प्रतीत नहीं होती है। आरोप संख्या 1 के सम्बन्ध में अप्रार्थी उचित मूल्य दुकानदार ने अपने जवाब में केवल मात्र इसी बात का वर्णन किया कि राजनैतिक द्वेषता के कारण शिकायत की है उक्त आरोप के सम्बन्ध में अपने बचाव में किसी प्रकार की कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया है एवं अपीलांट डीलर ने जिन लागों को गेहूं नहीं दिया उनमें से किसी भी उपभोक्ता का शपथ पत्र पेश नहीं किया है। अपीलांट डीलर ने अपने जवाब में जिन व्यक्तियों के शपथ पत्र संलग्न करने की बात रहा है वह शपथ पत्र नहीं है केवल सादे कागज में एक जैसी भाषा का उपयोग किया है जो कि "राशन डीलर नियमित राशन देता है और हम उसके कार्य से सन्तुष्ट है।" इनके पत्र में यह कही भी उल्लेख नहीं है कि ये उक्त राशन डीलर के उपभोक्ता है अपीलांट डीलर ने जिन उपभोक्ताओं को गेहूं नहीं दिया उन उपभोक्तओं में से किसी भी उपभोक्ता का शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है कि उनको बाद में गेहूं दे दिया गया था। जबकि अपीलांट डीलर को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का पालन करते हुए अपने पक्ष में सबूत एवं साक्ष्य पेश करने का पर्यात अवसर दिया गया था। अतः अपीलांट डीलर का जवाब तथ्यहीन व आधार हीन होने से अस्वीकार किया गया था। आरोप संख्या–2 वक्त जांच पोश मशीन में उपलब्ध स्टॉक के अनुसार मोके पर 2659 किलोग्राम गेहूं कम पाये गये। अपीलांट के विरूद्ध प्रथम उपरोक्त आरोपों के सन्दर्भ में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में डीलर को कारण बताओं नोटिस जारी कर डीलर को अपना जवाब एवं साक्ष्य सबूत दिनांक 19.06.2023 को पेश करने हेतु तारीख पेशी दी गई। अपीलांट डीलर ने दिनांक 19.06.2023 को कार्यालय में उपस्थित होकर जिला रसद अधिकारी के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत किया।

4(2) आरोप संख्या 2 वक्त जांच पोश मशीन में उपलब्ध स्टॉक के अनुसार मोके पर 2659 किलोग्राम गेहूं कम पाये गयें। जबकि डीलर ने अपने जवाब में बताया कि थोक विक्रेता द्वारा अक्टूबर 2018 में बिल संख्या 1680 में 1337 किग्रा गेहू की आपूर्ति की गई जो मैने मोबाईल द्वारा पोश मशीन में गलती से तीन बार अपडेट कर लिया जिससे पोश मशीन में 2674 किलो गेहूं अपडेट हो गया। वह एक उपभोक्ता को 15 किलोग्राम का ट्रांजेक्शन कर वितरण किया जिसमें 7 किलोग्राम गेहूं स्टॉक था व 8 किलोग्राम गेहूं 2674 किलोग्राम गेहूं में से निकल गया यह जवाब में बताया। जबकि अपीलांट डीलर ने स्वयं अपने जवाब में यह वर्णित किया है कि वास्तविक रूप से उन्हे 1337 किलोग्राम गेहूं प्राप्त हुआ किन्तु तीन बार रिसिव करने से 4011 गेहूं पोश मशीन में चढ़ गया। इस प्रकार 4011 गेहूं में से 1337 किलोग्राम गेहूं कम करते है तो 2674 किलोग्राम गेहूं बचता है। वक्त जांच पोश मशीन स्टॉक अनुसार 2659 गेहूं कम पाया गया। इस प्रकार 15 किलोग्राम गेहू का फर्जी ट्राजेक्शन हुआ है जबकि डीलर ने अपने एक ही आरोप में भिन्न भिन्न जवाब प्रस्तुत किये डीलर द्वारा उक्त गेंहूं किसको दिया इस सम्बन्ध में भी अपने जवाब में कोई वर्णन नहीं किया था। डीलर द्वारा स्वयं की गलती से 1337 किलोग्राम गेहूं को तीन बार रिसिव करने पर वास्तवित आपूर्ति से 2674 किलोग्राम गेहूं पोश मशीन में चढ़ गया जो भौतिक रूप से डीलर को प्राप्त नहीं हुआ था। किन्तु डीलर इस सम्वन्ध में ना तो जिला रसद कार्यालय एवं ना ही किसी प्रवर्तन निरीक्षक को लिखित में अवगत करवाने का साक्ष्य सबूत पेश किया। डीलर द्वारा 15 किलोग्राम गेहूं का फर्जी ट्राजेक्शन भी किया गया है। चूंकि दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार उसके पास भौतिक रूप से 15 किलोग्राम गेहूं था ही नहीं, उसके बावजूद डीलर द्वारा [illegible] को गेहूं कहां से दिया गया। अर्थात डीलर द्वारा उपभोक्ता को भौतिक रूप से [illegible] अनियमितता बरती है, जिस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा [illegible] प्रकरण 75 [illegible] राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश [illegible] के खण्ड 8 एवं 9 में प्रदत शक्तियों का

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Ram Jat
Date: 2024.02.01 11:34:48 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

Scanned with OKEN Scanner

प्रयोग करते हुए राशन डीलर श्री रामनारायण उचित मूल्य दुकानदार पांचवा का प्राधिकार पत्र के तहत जमा सुदा प्रतिभूति राशि 1000/– जब्त बहक सरकार की जाकर जारी प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया।

5. वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया सम्पूर्ण रिकार्ड का अवलोकन किया गया। आरोप संख्या 1 में उचित मूल्य दुकानदार के खिलाफ माह अप्रेल में प्रधानमंत्री अन्न योजना का पांच किलो प्रति यूनिट के हिसाब से गेहूं का वितरण नहीं किये जाने की शिकायत की गई है जिसमें उचित मूल्य दुकानदार को रसद विभाग द्वारा अप्रेल माह का प्रधानमंत्री अन्न योजना का गेहूँ कम उपलब्ध करवाया गया जिसके संबंध में विभाग को डीलर द्वारा सूचित कर दिया गया था रसद विभाग ने यह बताया कि अप्रेल माह का गेहूँ से जो उपभोक्ता वंचित रहे है उनको 15 मई 2020 के बाद मिलेगा इसके साथ ही मई 2020 का जो गेहूँ दोनो योजनाओं का था एक साथ वितरण कर दिया गया व वंचित रहे उपभौक्ताओं को डीलर ने सूचित भी कर दिया गया था एवं आरोप संख्या 2 में वक्त जांच पोश मशीन में उपलब्ध स्टॉक के अनुसार मोके पर 2659 किलोग्राम गेहूं कम पाये जाने की शिकायत की गई है जो थोक विक्रेता द्वारा अक्टूबर 2018 में बिल संख्या 1680 में 1337 किग्रा गेहू की आपूर्ति की गई जो पोश मशीन में तीन बार अपडेट हो जाने की तकनीकी समस्या के कारण कम होना पाया गया है चूंकि अपीलांट ने अपने जवाब में बताया है कि गेहूं वितरण के संबंध में उसकी जो शिकायत की गई है वह राजनैतिक द्वेषतावश ग्राम के सरपंच से मिलकर कुछ विशेष लोगों ने की है जो उसे वितरण कार्य करने देना नहीं चाहते। गांव के कुछ लोगो के अलावा सभी अपीलांट के कार्य से संतुष्ट है। गेहूं के स्टॉक संबंधी जो त्रुटी हुई है वह पोश मशीन में तकनीकी समस्या से हुई है। अतः प्रथमदृष्टया इलेक्ट्रोनिक पोश मशीन में तकनीकी समस्या आने से उचित मूल्य दुकानदार द्वारा गेहूं वितरण/स्टॉक में भूल की गई प्रतीत होती है, साथ ही कुछ ग्रामवासियो के अलावा अन्य लोग उचित मूल्य दुकानदार के कार्य से संतुष्ट प्रतीत होते है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.08.2023 को अपास्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को उनका मूल रिकार्ड लौटाते हुए निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

आदेश सरे इजलास आज दिनांक **27.12.2023** को सुनाया गया।

(सीताराम जाट, IAS)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Ram Jat
Date: 2024.02.01 11:34:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner